संख्या-20/2023/857/एक-1-2023-1-1099/3514/2020

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0 लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2023

विषयः-उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही के त्वरित निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की जाती हैः-

(1) धारा-80 औद्योगिक वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए जोत का उपयोग-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित) की धारा-80 में गैर-कृषि भूमि की उद्घोषणा हेतु 45 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी है। और यदि उप जिलाधिकारी द्वारा यथा पूर्वोक्त 45 दिन के भीतर घोषणा नहीं की जाती है तो घोषणा की गयी समझे जाने का प्राविधान है।

तत्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की अनापत्ति हेतु 30 दिन की समयसीमा निर्धारित की जाती है। यदि 30 दिन के भीतर आपत्ति/अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इसे डीम्ड टू नो आब्जेकशन मान कर निस्तारित कर दिया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) धारा-89 (विहित सीमा 5.0586 हे0 (12.5 एकड़) से अधिक क्रय की अनुमति)-

शासनादेश संख्या-156/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 28-1-2021 द्वारा मण्डलायुक्त के स्तर से अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु अधिकतम 60 दिन की समय-सीमा पूर्व से ही निर्धारित है।

तत्क्रम में विहित सीमा से अधिक 20.2344हे0 तक भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कलेक्टर के लिए 45 दिन तथा 40.4688 हे0 से अधिक भूमि क्रय करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति हेतु शासन में जिलाधिकारी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्व परिषद एवं सम्बन्धित विभाग की संस्तुति प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिकतम 30 दिन में पूर्ण करते हुए पत्रावली मा0 राजस्व मंत्री जी को प्रस्तुत किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

(3) धारा 98 (अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा)-

उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के तहत अनुसूचित जाति के भूमिधर की भूमि के अन्तरण के लिए कलेक्टर की अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु अधिकतम 45 दिन की समयसीमा निर्धारित की जाती है।

(4) धारा-101 (ग्राम सभा/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधाधीन भूमि के विनियम के संबंध में)-

ग्राम सभा/अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबंधाधीन सामान्य श्रेणी की भूमि के विनिमय के संबंध में उप जिलाधिकारी के स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 45 दिन तथा आरक्षित श्रेणी की भूमि के लिए राज्य सरकार के सेवारत विभाग तथा भारत सरकार व राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रू0 40 लाख तक की वस्तु के लिए कलेक्टर के स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 60 दिन एवं भारत सरकार व राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभाग हेतु रू0 40 लाख से अधिक की वस्तु तथा प्राइवेट व्यक्तियों/निजी उद्योगों/संस्था/न्यास आदि के लिए मण्डलायुक्त के

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

स्तर से प्रदान की जाने वाली अनुज्ञा हेतु अधिकतम 60 दिन की समय-सीमा निर्धारित की जाती है।

उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथासंशोधित की धारा-80, 89, 98 एवं 101 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को उपरोक्तानुसार निर्धारित समय-सीमा के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल विकसित किए जाने तथा उक्त कार्यों की निरन्तर समीक्षा करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को समय-समय पर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
(2) सचिव एवं राहत आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
(3) समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) समस्त जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
(5) निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राम रतन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।